रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1971/फाल्गुन 3, 1892

No. 25] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 1971/PHALGUNA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd February 1971

SUBJECT.—*Small value imports from U.S.A. under the reimbursement procedure under the U.S. AID commodity Programme Assistance, 1970 (AID Loan No. 386-H-207).*

No. 19-ITC(PN)/71.—This Public Notice sets out the terms and conditions governing import licences granted under the reimbursement procedure for small valued imports under the United States Agency for International Development Commodity Programme Assistance, 1970 (AID Loan No. 386-H-207). A separate Public Notice has been issued which will govern licences for Rs. 82,500 or more issued under the Letter of Commitment Procedure subject to the minimum value limit of Rs. 41,250 ($5500) (CIF) for each shipment and letter of credit.

2. Attention of the importers is specially drawn to the following:—

(a) The requirement of inviting bids from U.S. Suppliers by submission of Notice to U.S. Business to the Department of Industrial Development (AID Section), Udyog Bhavan, New Delhi and placing orders after complying with this procedure will not *apply* to the imports made under these licences for small-value.

(b) There will be no minimum value limit for issue of licences or for placing of orders, or for opening of letter of credit or for an individual shipment.

(c) The value for which an order can be placed or a letter of credit, where required by the supplier, can be opened in favour of any single U.S. supplier against any of these licences shall not exceed Rs. 37,500 ($5000) (CIF).

(d) Imports under these licences will be restricted to the items listed in Annexure I to this Public Notice.

(e) Except in regard to freight payable to Indian steamship companies for shipments in Indian flag commercial vessels, and insurance premium payable to Indian Marine Insurance companies for goods insured with them, and commission payable to the supplier's agent in India, for all other payments, which will be in foreign exchange, remittance will be allowed.

(f) Credit facilities in respect of payments to U.S. suppliers will also be permitted subject to the restrictions explained in the Appendix to this Public Notice.

(g) Payments to U.S. suppliers must be made upon receipt of prescribed shipping documents, except where credit facilities are involved. In any event they must be completed within thirty days of the expiry of the import licence or 30th April, 1972, whichever is earlier.

APPENDIX

Terms and conditions governing Import Licences granted for small value imports under the reimbursement procedure under U.S.AID commodity Programme Assistance 1970 (*AID Loan No.* 386-H-207)

I. *Eligile Items*:

(1) A list of eligile items is given in Annexure I. This list consists of *certain selected categories* of items for which AID financing under the aove loan is available, the selection being based on the criterion that the import requirement in these categories are generally and genuinely small valued. The inclusion of an item in the list does not however imply that licences for the item will necessarily be issued.

(2) The licence will be valid for the import of goods of U.S. source and origin only. The definition of the word "United States" and "U.S. Source" will be as given in Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 17-ITC(PN)/71, dated the 8th February, 1971. The relaxation of the ten per cent componentary limitation stipulated in the definition of "U.S. Source" known as Source Rulings, as explained in the said Public Notice, will also be applicable to the imports under this Public Notice.

(3) Payment to the supplier will be subject to the goods supplied meeting the U.S. source and origin requirement as relaxed by the Source Rulings referred to above. It will be also subject to the supplier presenting AID's approval for commodity eligibility in Form 11 [reproduced in Annexure IIB to the said Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 17-ITC(PN)/71 dated the 8th February, 1971.] Importers are advised to bring this requirement specifically to the notice of the supplier at the time of placement of orders and advise him to obtain the approval for commodity eligibility prior to making shipment.

II. *Restrictions on order placement price of commodities and their use.*

(1) *Restrictions on order placement.*—While there will be no minimum limit for issue of a licence or for placing of an order or for opening of a letter of credit or for an individual shipment, no order can be placed or letter of credit opened in favour of any single U.S. Supplier for Rs. 37,500 ($ 5000) (*CIF*) or more Keeping in view this stipulation, order should be placed and letters of credit, where required by the supplier opened in favour of the U.S. supplier within four months from the date of issue of the licence. The value of the licence will be worked out at $100=Rs. 750. While placing orders the U.S. supplier must invariably be instructed to show the cost, insurance and freight separately in the invoice.

This is particularly necessary in the case of ocean freight, because AID, Washington do not finance under their loans 10 per cent of the freight charges (representing port charges at Indian ports) in the case of shipments made on U.S. flag liner vessels (i.e., non-free out shipments).

(2) No orders should be placed on any of the ineligible suppliers listed in the erstwhile Ministry of Commerce Public Notice No. 235-ITC(PN)/68 dated 25th October, 1968, as amended from time to time. Further, while placing orders and while opening letters of credit, it should be made clear to the U.S. supplier that payment shall be made to him only if he has not been debarred or suspended or declared ineligible by the United States Government upto the time of payment for participating in AID financed transactions. No orders should be placed on suppliers located outside the U.S.A. Also, no orders should be placed if the imports cannot reasonably materialise within the validity period of the licence Any orders placed in violation of the above conditions will render the licence liable to cancellation.

(3) *Price of commodities.*—The goods should be procured at reasonable prices which should normally approximate the lowest competitive export market price having regard to quality, time and cost of delivery and other factors (The supplier certifies to this price requirement in the suppliers certificates in forms AID 282 and AID 283 shown in Annexure II and IIA respectively of Ministry of Foreign Trade Pulibc Notice No. 17-ITC(PN)/71 dated the 8th February, 1971. The prices at which contracts are concluded by the importer will be subject to check by the Government. The contract prices should be shown in U.S. Dollars only.

(4) *Use of goods.*—Goods imported under the import licence shall be used only for the purposes for which the import licence is issued and/or in accordance with such conditions as may hereafter be prescribed by Government. Further, as all items imported under U.S. Aid Loan are intended to meet the immediate needs of the economy, the items imported under this licence should be put into use promptly. In the event of time being required for utilisation, the importers should report the matter immediately to the Department of Industrial Development (AID Section), Udyog Bhavan, New Delhi and seek their guidance. Further the goods imported under the licence cannot be warehoused in the customs warehouses in terms of the facility afforded in Section 61 of the Sea Customs Act for a period of more than three months.

III. *Payments against Import Licences by remittance through Banks—Reimbursement procedure.*

(1) The licencee should, before finalising contracts or placing orders with the foreign suppliers, ensure that the conditions laid down in clauses I and II above are duly taken note of. The licencee should also ascertain from the U.S. supplier prior to placing orders whether he has an agent in India and whether any commission, to the agent will be involved. Where the prices include any commission for the agent in India, the importer shall provide in the contract with the U.S. supplier that the Commission to the agent will be payable in rupees through the importers bankers in India. This commission, although payable in rupees in India, will be duly taken into account against the value of the imports authorised under the licence and equivalent amount will not therefore be available for additional imports under the licence. If payment of commission to the agent in India is involved, it should be clearly stipulated in the contract with the U.S. supplier and the commercial letter of credit opened subsequently in his favour that two sets of detailed commercial invoices be submitted by the supplier to the U.S. Bank when seeking payment under the letter of credit, the first set of invoices showing only the gross sales amount and placed in a sealed cover addressed to the importer, and the second set showing the net price plus agent's commission, the gross sales amount, the name and address of the agent in India to whom payment is to be made, accompanied by the original suppliers certificate (AID from 282), and placed in a sealed cover marked "for AID and the Government of India". In cases where no agent's commission is involved, the contract with the U.S. supplier as well as the letter of credit to be opened subsequently in his favour shall stipulate that the invoice must be accompanied by a certificate from the supplier in the form AID-283 prescribed by AID Washington to the effect that no Agent's commission is included the invoice.

(2) Payments to the suppliers may be made by the normal banking channels by remittance against the exchange control copy of the import licence which would be valid for purpose of remittances except for amounts payable in Indian currency. The letters of credit where required by the supplier should be opened within four months from the date of issue of the licence. It should cite the revised Schedule, B Nos. applicable to the items to be imported under the letter of credit, detail the conditions to which the licence is subject and call for the submission of all the documents detailed in Annexure II to this Public Notice. It should stipulate instructions on the submission of two sets of invoices as explained above where payments of commission to an agent in India is involved, stating clearly that only the net amount shown in the second set of invoices will be paid to the supplier. The letter of credit should also stipulate that the amount on account of ocean freight paid or to be paid for shipping the cargo should be clearly and separately shown in both the invoices whether shipments are made by U.S. vessels or other flag vessels (including Indian flag vessels). While there is no minimum limit for opening of a letter of credit or for an individual shipment, *no letter of credit can be opened in favour of any single supplier for a value of Rs.* 37,500 ($5000) (*CIF*) *or more.*

(3) In cases where bills are received by the authorised dealers in foreign exchange on collection basis, the proceeds of the bills will not be remitted unless the drawees (importers) furnish to the authorised dealers in foreign exchange all requisite documents from Suppliers (complete in all respects) (including AID Form 89) for forwarding to the Ministry of Finance. The total amount of such remittance to a single supplier against a licence must not exceed Rs. 37.500/- ($5000).

(4) Unless the supplier is willing to extend credit facilities [see sub-clause (7) below], the Indian Bank of the importer shall upon receipt of the shipping documents from the U.S. Bank of the supplier collect in rupees from the importer the entire cost of imports, inclusive of commission payable to the agents in India, if any, on the basis of the gross invoice, and remit the cost of imports minus the agents commission (to be ascertained from the invoice showing the net prices agents commission and gross amount marked "for AID and the Government of India") to the U.S. supplier. The remittance will be made only after verifying whether all the documents, indicated in Annexure II, have been duly submitted by the supplier and are in order. Where Indian flag vessels are used for shipments and/or where marine insurance has been arranged with an Indian insurance company, the documents will show freight and insurance premium respectively as "to pay". These charges will be paid directly by the importer to the Indian steamship company and/or the Indian insurance company respectively, and the collection of the cost of imports from the importer by the Indian Bank will be confined to the invoiced gross F.O.B./F.A.S. cost, inclusive of the commission to the agent in India of the supplier. The collection of the rupee amount will be on the basis of the dollar-rupee rate of exchange prevailing on the date of remittance. The commission to the agent of the supplier in India will be paid by the Indian bank of the importer to the agent promptly after remittance, after obtaining a certificate from the agent in India to the effect that—

(i) he has performed services in India constituting a direct and substantial contribution towards securing the sale of the commodity and commodity related service financed by AID hereunder,

(ii) he has performed such services in India; and

(iii) he maintains a regular place of business in India

If no payment of agent's commission is involved, the collection by the Indian Bank will be on the basis of the single invoice.

5. Within seven days of remittance of foreign exchange, the Indian Bank of the importer shall submit (by registered post, acknowledgement due) to the Senior Accounts Officer, Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) (Economic Aid Accounts Section) Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, a statement showing the details of the remittances made as in the proforma shown in Annexure III to this Public Notice together with one set of documents (See Annexure II) complete in all respects to enable the latter to claim reimbursement of AID-financeable amounts from AID Washington. The Importer is responsible for ensuring that the bank submits this statement and the documents as prescribed in due time. *Failure of the importer or his Bank to submit this statement and the documents as prescribed in time may mean denial of import licences to the importer.*

(6) Where agents' commission, other than commission to agent in India, is involved, the letters of credit shall clearly indicate that such commission paid by suppliers should conform to the provisions of the Loan Agreement and the AID Regulations.

(7) There is no objection to suppliers extending credit facilities for a period *not exceeding 90 days from the date of shipment* and to importers availing of these facilities.

The supplier, in such cases, may either ship the goods without insisting on the opening of a letter of credit or accept a letter of credit with the stipulation that remittance will be made within 90 days of the date of shipment. The extension of the credit facility should not be at the cost of any interest to the importer, either directly or indirectly. In all cases involving credit facilities, the invoice figuring in the shipping documents shall show in dollars the gross sales amount, net price, commission payable to the supplier's agent in India, if any, and the name and address of the agent. The agents' commission, if any, shall be directly paid by the importer to the agent, after obtaining a certificate from the agent on the basis of sub-clause (4) above. Similarly, freight charges for shipment in Indian vessels and insurance premium when insurance cover is arranged with an Indian insurance company will be paid directly to the parties concerned by the importer. Remittance will then take place for the balance amount due to the supplier through the Importer's Bank. *The credit facility of 90 days from the date of shipment shall however be subject to the limitation that no remittance to the supplier shall take place after 30th April*, 1972. After remittance of foreign exchange to the U.S. supplier for the amount due to him, the statement showing the details of payments together with the requisite documents should be submitted to the Senior Accounts Officer Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) (Economic Aid Accounts Section) Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, within seven days of remittance as prescribed in sub-clause (4) above.

NOTE.—(1) Purchase commission payable to an agent of the importer in the USA in connection with AID financed imports, if any, will be debitable to the licence, though it will not be financeable from out of the loan funds. Remittance of foreign exchange for purchase commission will be governed by the Reserve Bank of India Exchange Control Regulations.

(2) Payments to inspection agencies in U.S.A. for services rendered in inspecting commodities shall also be debitable to the licence and such payments are financeable from out of the loan funds.

IV. *Documentation*

The importer is responsible to see that the supplier completes and submits the documents listed in Annexure II to the U.S. Bank at the time of claiming payment for the goods supplied. Each document must show the loan number, No. and date of the Ministry of Finance Letter of credit Authorisation and the details of the import licence.

V. *Report Regarding Orders Placed*

(1) Within a fortnight of the opening of the letters of credit, a report should be sent by importers to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Economic Aid Accounts Section) consisting of the following information and documents:

A. Number, date and nature of the import licence and relative AID Loan No.

B. Value and quantity of orders placed and accepted by the supplier.

C. Name and address of the supplier.

D General description of the items to be imported and applicable revised schedule B numbers.

E A copy of the order placed on the supplier and of his acceptance.

F. Number, dated and value of the letter of credit opened, the Indian Bank concerned and the U.S. Bank involved.

G. Whether credit facilities are involved or not.

(2) Any change in the above information should be intimated promptly to the Senior Accounts Officer, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Economic Aid Accounts Section), Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

VI. *Shipment of Goods*

The goods covered by the licence may be shipped entirely on U.S. or Indian flag vessels according to the availablity of vessel. Third country flag vessels can however be used only if both U.S. and Indian flag vessels are not available and certificates to that effect are taken prior to shipment, respectively from the Resources Transportation Division, AID, Washington and the Secretary, Shipping Coordination Committee, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi (Cable: Transchart) or the Ministry of Shipping and Transport forwarding agents in the U.S.A., namely, M/s. Dyson Shipping Co., 17, Battery Place, New York, N.Y.

VII. *Special Conditions*

Certain special conditions are applicable to the import of certain items. These have been marked by an asterik (*) in Annexure I. The importers shall ensure, at the time of placement of orders that the attention of the suppliers is drawn to the existance of special conditions to be compiled with in regard to these items in addition to the other conditions detailed in this Public Notice. The importers should emphasise that unless the supply of goods, documentation, etc., are in accordance with these special conditions, the supplies will not be financed by AID. If the importers wish to know the details of the special conditions applicable to the import of any of the items, they may ascertain the same from the Department of Industrial Development (AID Section) or from the US AID Mission, American Embassy, New Delhi.

VIII. *Other Miscellaneous Matters*

The terms and conditions notified in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 17-ITC(PN)/71 dated the 8th February, 1971 on (i) insurance of goods (ii) claims on insurance companies, supplies steamer companies, etc. (iii) marking of commodities (iv) records and inspection (vi) disputes (vi) future instructions from Government and (vii) breach or violations shall apply to the imports under the licences for small value imports granted under the reimbursement procedure also, with such changes as are necessary in consequence of the fact that reimbursement procedure is followed in place of the letter of commitment procedure.

IX. *List of Annexures by Titles*

Annexure I:—List of eligible items qualifying for imports in Small Valued Consignments under the Reimbursement Procedure.

Annexure II:—Documents required from suppliers.

Annexure III:—Proforma showing the details of the remittances made against the licence.

ANNEXURE I

List of eligible items qualifying for imports in small valued consignments under the reimbursement procedure.

Schedule B No.	Description	Applicable Special Provisions (SP.)
512·0720 . . .	Chemicals as anti-knock agents	
513·1100—513·1300 .	Rare gases.	
599·5834—599·5836 (P) .	Glues and adhesives (for Industrial purposes)	
599·7515—599 7525 .	Additives for lubricating or fuel oils	SP 23a

Schedule B. No.	Description	Applicable Special Provisions (SP)
599·7700 . . .	Prepared culture media.	SP 40#1a
599·9210—599·9940 .	Activated Natural Mineral Products, pyrophoric alloys, metal picking preparations, paint removers, sovents, catalysts and reagents.	
Machinery, other than Electric.		
711·1010—711·3200 .	Steam boilers, engines and turbines—parts for	
711·4120—711·4160 .	Parts and accessories for non-military aircraft internal combustion engines except for used engines.	
711·4230 . . .	Aircraf turbine parts & accessories, N.E.C.	
711·5062—711·5068 .	Parts and accessories, N. E.C. for automotive, truck and bus engines and internal combustion engines, except rebuilt or reconditioned.	
711·6000 . . .	Parts for Gas Turbines, N.E.C.	
711·8120—711·8900 .	Parts for Water turbines and engines, N.E.C.	
712·1020 . . .	Parts and attachments for Planters, seeders and fertilising machines	
712·1060 . . .	Parts and attachments N.E.C. for plows, horrows and cultivators.	
712·2025 . . .	Parts and attachments for harvesting machines.	
712·2050 . . .	Parts and attachments for haying machines	
712·2073—712·3040 .	Crop preparation machines N. E. C. and dairy machines—parts for.	
712·9910—712·9965 .	Parts for agricultural machines, N.E.C	
714·1010—714·9295(P) .	Typewriters, check-writing, calculating, accounting and other office machines, except used office machines—parts and accessories for.	
715·2110—715·2255 .	Foundry machines and rolling mills—parts for	
717·1315—717·1380 .	Parts and accessories for textile machines.	
717·1410—717·1420* .	Felt making or finishing machines—parts for .	
717·1530—717·1575 .	Commercial laundry, dry cleaning, pressing and related equipment—parts for.	
717·2010—717—2020 .	Leather working machines—parts for.	
717·3010—717·3070(P) .	Parts for Domestic sewing machines, N.E.C., industrial sewing machines (Except used or rebuilt machines) and stitching machines and needles.	
718·1115—718·1140(P) .	Pulp mill and paper mill machines, except used machines—parts and attachments for.	
718·1210—718·2100 .	Paper cutting and book binding machinery N.E.C. —parts for.	
718·3100—718·3930 .	Grain milling, commercial food cutting, bakery and sugar plant machines—parts for.	
718·3960(P) . . .	Parts for fruit and vegetable processing machines.	
718·4100—718·4250 .	Parts attachments and accessories for construction machines Like: Road rollers, power cranes, scrapers, graders, dredges, ditchers, pile-drivers, except used or rebuilt machines.	

*Requires prior approval on a case-by-case basis by U.S. AID New Delhi.

Schedule No.	Description	Applicable Special Provisions (SP).
718·4252—718·4258	Mining machines—parts and attachments for.	
718·4260—718·4264	Well drilling machines—parts and attachments for.	
719·1100	Parts for Gas generators, N.E.C.	
719·1511—519·1544	Parts for commercial refrigeration and cooling equipment and parts for refrigerating equipment, N.E.C. except freezer-dispensers.	
719·1546—719·1548	Parts for air-conditioning and refrigeration equipment.	
719·2170	Parts and attachments, N.E.C., for pump for liquids.	
719·3151—719·3260	Parts for elevators, conveyors, jacks, industrial truck tractors and portable elevators.	
719·6215—719·6240	Food and non-food packing, wrapping, filling and sealing machines—parts and accessories for.	
719·6255—719·6340(P)	Commercial dishwashing and weighting machines (except household and person weighing scales) —parts and accessories, N.E.C. for.	
719·6410—719·6470	Parts for spraying and dusting machines.	
719·8020	Parts for vegetable oil machines.	
719·9202—719·9900	Valves, transmission parts, gaskets and machines parts, N.E.C.	
729·2010—729·2050(P)	Electric Lamp parts (excluding parts for advertising, Christmas decoration, and sun lamps).	
729·3015—720·3080	Electron Tube solid state semiconductor device, crystal and filter parts.	
729·9930*	Electrical Apparatus parts, N.E.C.	
Transport Equipment.		
731·7030—731·7050	Air Brake equipment parts for Railway Rolling stock.	
732·8100—732·8948	Motor vehicle and tractor parts and accessories, for non-military vehicles.	
732·9100—732·9200	Motorcycles, motor scooter and motor bike—parts and accessories.	
733·3030	Industrial hand trucks and trailer parts.	
733·3040	Truck trailer parts., N.E.C.	
733·3090—733·4000*	Parts, N.E.C. for vehicles, N.E.C.	
734·2910—734·9220*	Propellers, anding gears and parts, N.E.C., for aircrafts, airships, and balloons.	
734·9230(P)	Parts and accessories, N.E.C. (except gun mount assembles, bomb shackles, turrets and similar items) for aircrafts, airships and balloons.	
861·7105—861·7150(P)	Dental and diagnostic instruments and equipment; medical, surgical opthalmic and veterinary instruments and apparatus.	
861·8110—861·9970.	Meters and counters, surveying, navigational and other scientinc measuring devices.	

*Requires prior approval on a case-by-case basis by U.S. AID New Delhi.

ANNEXURE II

Documents Required for Suppliers

1. All documents indicated in Annexure VII to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 17-ITC(PN)/71 dated the 8th February, 1971.

2. Evidence of payment in the form of receipted invoice or formal receipt of foreign suppliers Bank's certificate of remittance or other satisfactory evidence.

ANNEXURE III

Proforma (to be used by Banks) showing the details of the remittances made against the licence.

To,

The Senior Accounts Officer,
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs,
Economic Aid Accounts Branch,
10-Jeevan Deep Building, Parliament Street,
New Delhi.

Dear Sir,

We forward herewith the following documents after making necessary payments to enable you to obtain reimbursement from AID:—

(1) No. of loan : US AID Loan No. 386-H-207.

(2) Name and full adress of the importer :

(3) Import Licence No., date and CIF value :

(4) Particulars of documents (To be attached):—

(a) Suppliers invoice :

(b) Copy of Bill of Lading :

(c) AID Certificate.

(d) Proof of payment or remittance to supplier

We certify that we have remitted the amounts of $. to the U.S Suppliers.

Yours faithfully,

BHAGWAN SINGH,
Chief Controller of Imports & Exports

विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1971

विषय : 1970 (ए० आई० डी० ऋण संख्या 386-एच-207) के यू० एस० ए० आई० डी० पण्य वस्तु कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति कार्यविधि के अन्दर संयुक्त राज्य अमरीका से अल्प मूल्य के आयात ।

सं० 19 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71:—यह सार्वजनिक सूचना अन्तर्राष्ट्रीय विकास पण्य वस्तु कार्यक्रम सहयोग 1970, (ए० आई० डी० ऋण संख्या 386-एच-207) के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तर्गत अल्प मूल्य आयातों के लिए प्रतिपूर्ति कार्य विधि के अन्तर्गत दिए जाने वाले आयात लाइसेंसों को विनियमित करने वाले नियमों और शर्तों का निर्धारण करती है। एक सार्वजनिक सूचना अलग से जारी की गई है जो बचन-पत्र कार्यविधि के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस के लिए 32,500/ रुपये या उससे अधिक को विनियमित करेगी, किन्तु यह प्रत्येक जहाज लदान और साख-पत्र के लिए 41,250/ रुपये (5500 डालर) (सी आई एफ) के न्यूनतम मूल्य सीमा के अधीन है ।

2. आयातकों का ध्यान खास तौर से निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है :—

(क) यू० एस० व्यापार के लिए औद्योगिक विकास विभाग (ए० आई० डी० अनुभाग,) उद्योग भवन, नई दिल्ली को सूचना निवेदन द्वारा यू० एस० संभरकों से बोली को आमंत्रित करने की आवश्यकता का और इस कार्यविधि का पालन करने के बाद आदेश दिया गया है, तो यह अल्प मूल्य मांगों के लिए इन लाइसेंसों के अन्तर्गत किए गए आयातों के लिए लागू नहीं होगा ।

(ख) लाइसेंस जारी करने के लिए या आदेश देने के लिए या साख-पत्र खोलने के लिए या वैयक्तिक पोत-लदान के लिए कोई न्यूनतम मूल्य सीमा नहीं होगी ।

(ग) जिस मूल्य के लिए आदेश दिया जाता है या संभरक द्वारा मांग की जाती है, तो किसी भी एक यू० एस० संभरक के नाम में इन किसी भी लाइसेंस के लिए साख-पत्र खोला जा सकता है, जो 37,500 रुपये (5000/ डालर) (सी आई एफ) से अधिक नहीं होगा ।

(घ) इन लाइसेंसों के अन्तर्गत किए जाने वाले आयातों को इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबंध 1 में दी गई मदों की सूची तक प्रतिबंधित रखा जाएगा ।

(ङ) भारतीय ध्वज वाणिज्यिक पोतों में पोत लदानों के लिए भारतीय जहाज कम्पनियों को दिए जाने वाला भाड़ा, और उनके साथ माल के लिए कराए गए बीमा के लिए

भारतीय पोत बीमा कम्पनियों को दी जाने वाली बीमा किस्त, और भारत में संभरक के प्रभिकर्ता को दिए जाने वाले कमीशन के मामलों को छोड़ कर, अन्य सभी प्रकार के भुगतान जो विदेशी मुद्रा में किए जाएंगे, उसके प्रेषण की अनुमति दी जाएगी।

(ब) यू० एस० संभरकों के किए जाने वाले भुगतान के संबंध में साख की सुविधाएं भी इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबंध में बताई गई प्रतिबंधित सीमा के अधीन स्वीकृत की जाएंगी।

(छ) जहां साख-सुविधाएं शामिल हैं, उन्हें छोड़ कर, यू० एस० संभरकों के भुगतान निर्धारित पोत परिवहन प्रलेखों की आवती पर अवश्य किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में, आयात लाइसेंस की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर हो या 30 अप्रैल, 1972 तक जो भी इससे पहले हो, उन्हें अवश्य ही पूरा कर दिया जाना चाहिए।

अनुबंध

संयुक्त राज्य ए० आई० डी० पण्यवस्तु कार्यक्रम सहयोग 1970 (ए० आई० डी० ऋण संख्या 386-एच-207) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति कार्यविधि के अन्दर अल्प मूल्य आयातों के लिए दिए गए आयात लाइसेंसों को विनियमित करने वाले नियम एवं शर्तें।

1. उपयुक्त मदें

(1) अनुबंध 1 में उपयुक्त मदों की एक सूची दी गई है। उपर्युक्त उपलब्ध ऋण के अन्दर अर्थयुक्त की जा रही मदों की खास चुनी हुई श्रेणियां इस सूची में हैं, इसका चुनाव इस मानदंड के आधार पर किया जाता है कि इन श्रेणियों के अन्दर किए जाने वाले अपेक्षित आयात सामान्य रूप से और विशुद्ध रूप से अल्प मूल्य के हैं। लेकिन, किसी एक मद को, सूची में शामिल करना यह अपेक्षा नहीं रखता कि इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाना आवश्यक होगा।

(2) लाइसेंस केवल यू० एस० स्त्रोत और मूल के माल का आयात करने के लिए ही वैध होगा। "यूनाइटेड स्टेट" और "यू० एस० सोर्स" शब्दों की परिभाषा विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 17 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 8-3-71 में जैसी दी गई हैं, वैसी ही होगी। "यू० एस० सोर्स" की परिभाषा के अन्दर 10 प्रतिशत संघटकीय सीमा की छूट अनुबंधित है, और जिसे सोर्स रूलिंग के रूप में जानते हैं, जैसा कि उक्त सार्वजनिक सूचना में बताया गया है, इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत भी आयात किए जाने योग्य होगा।

(3) संभरक का भुगतान ऊपर उल्लिखित सोर्स रूलिंग द्वारा दी गई छूट के अनुसार यू० एस० स्त्रोत और मूल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भेजे गए माल के अधीन होगा। यह प्रपत्र 11 (उक्त विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना 18 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 8-2-71 के अनुबंध 2 बी में दिया गया है) में विनिर्दिष्ट उपयुक्तता के लिए ए० आई० डी० अनुमोदन

प्रस्तुत करने के लिए संभरक के भी अधीन होगा ? आयातकों को सलाह दी जाती है कि इस बात को पक्का करने लावें और खास कर संभरक की सूचना में तब लावें जब आदेश दिया जा रहा हो और उसे सलाह दें कि वह पोतलदान किए जाने से पूर्व पण्यवस्तु उपयुक्तता के लिए अनुमोदन प्राप्त कर ले।

26. आदेश देने, पण्यवस्तु की कीमत और उसके उपयोग के संबंध में प्रतिबंध

(1) **आदेश देने सम्बन्धी प्रतिबंध.**—जब लाइसेंस जारी करने के लिए या आदेश देने के लिए या साख-पत्र खोलने के लिए या वैयक्तिक पोतलदान के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, तो किसी भी एक यू० एस० संभरक के नाम में 37,500 रुपये (5000 डालर) तक या इस से अधिक के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता और साख-पत्र नहीं खोला जा सकता। इस अनुबंध को ध्यान में रखते हुए आदेश दिए जाने चाहियें और जब संभरक द्वारा मांग किया जाए, तो लाइसेंस जारी किए जाने की तिथि से चार मास के भीतर ही यू० एस० संभरकों के नाम में साख पत्र खोला जाना चाहिए। लाइसेंस का मूल्य 100 पौंड — 750 रुपये होगा। जब आदेश दिया जा रहा हो तब बीजक में लागत, बीमा और भाड़ा को अलग अलग दिखाने के लिए यू० एस० संभरक को निरापवाद रूप से निदेश दे देना चाहिए। यह समुद्री भाड़े के मामले में विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि यू० एस० ध्वज जहाज पोतों (जैसे स्वतंत्रेत्तर पोत लदान) से पोत लदान के मामले में इस ऋण के अन्तर्गत ए० आई० डी० वाशिंगटन भाड़ा खर्चे (भारतीय बन्दरगाहों पर बन्दरगाह खर्च प्रस्तुत करने वाले) का 10 प्रतिशत अर्थयुक्त नहीं करते।

(2) पूर्वकालिक वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 235 आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 25-10-68 जो समय समय पर यथा संशोधित है, उस में सूचीबद्ध अनुपयुक्त संभरकों में से किसी को भी आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। फिर, जब आदेश दिया जा रहा हो और जब साख-पत्र खोला जा रहा हो, यू० एस० संभरक को यह स्पष्ट बता दिया जाना चाहिए कि भुगतान केवल उसी को किया जाएगा, यदि वह ए० आई० डी० अर्थयुक्त सौदे में सहयोग देने के लिए भुगतान करने की अवधि तक संयुक्त राज्य सरकार द्वारा बहिष्कृत नहीं कर दिया गया है या निलम्बित नहीं कर दिया गया है या अनुपयुक्त नहीं घोषित कर दिया गया है? यू० एस० ए० से बाहर रहने वाले संभरकों को आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आयात यथोचित रूप से लाइसेंस की अवधि के भीतर कार्यान्वित नहीं हो सकते हैं, तो तब भी आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन कर कोई आदेश दिया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

(3) **पण्य वस्तुओं की कीमत** —वस्तु का गुण समय और सुपुर्दगी खर्च तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए (विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 17 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 8-2-71 के अनुबन्ध 2 और अनुबन्ध 2ए में क्रमश. ए० आई० डी० 282 और ए० आई० डी० 283 प्रपत्रों में संभरक प्रमाण-पत्रों में इस कीमत आवश्यकता के लिए संभरक प्रमाण-पत्र प्रदर्शित किए गए हैं) उचित कीमत पर माल प्राप्त किए जाने चाहिए जिसे सामान्य रूप से लगभग निम्नतम प्रतियोगिक निर्यात बाजार कीमत पर होनी चाहिए। आयातक द्वारा जिस कीमत पर संविदा का समापन किया जाता है उसकी सरकार द्वारा जांच की जाएगी। संविदा कीमत केवल यू० एस० डालर में ही प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(4) **माल का उपयोग**:—इस आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित माल का उपयोग केवल उसी काम में किया जाएगा जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी किया गया है और/या इसके बाद सरकार द्वारा जैसी शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं उसके अनुसार उपयोग किया जाएगा। फिर, चूंकि सभी

मदें जो यू० एस० ए० आई डी० ऋण के अन्तर्गत आयात की जाती है, वे अर्थ सम्बन्धी आवश्यक जरूरतों का सामना करने के लिए है, इसलिए इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित मदों, का उपयोग शीघ्रता से किया जाना चाहिए । उपयोग किए जाने मे समय लगने की अवस्था मे आयातको को चाहिए कि वे इसकी सूचना उद्योग विकास विभाग (ए० आई० डी० अनुभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली को शीघ्र दे दें और उनका निर्देशन मागे । फिर इस लाइसेंस के अन्तर्गत अयातित माल को समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 61 मे प्रदत्त सुविधा की शर्तों के अनुसार सीमा-शुल्क माल गोदाम मे तीन महीने की अवधि से ज्यादा दिनो तक नही रखा जा सकता है ।

3. बैंक प्रतिपूर्ति कार्य विधि के माध्यम से पोषण द्वारा आयात लाइसेंस के लिए भुगतान

(1) संविदाओं को अर्थयुक्त बनाने और विदेशी सभरको को आदेश देने के पूर्व लाइसेंसधारी को इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि उपयुक्त अनुच्छेद 1 और 2 मे दी गई शर्तों को विधिवत् नोट कर लिया गया है । आदेश देने से पूर्व लाइसेंसधारी को यू० एस० सभरको से यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या उसका कोई अभिकर्ता भारत में है और क्या अभिकर्ता के लिए किसी प्रकार का कमीशन शामिल किया जाएगा । जहां भारत में अभिकर्ता के लिए कीमतो मे किसी प्रकार का कमीशन शामिल होता है तो यू० एस० संभरक के साथ आयातक के लिए संविदा में यह व्यवस्था होगी कि अभिकर्ता के लिए जो देय कमीशन होगा उसे भारत मे आयातक के बैंकरो के माध्यम से रुपये मे दिया जाएगा । यद्यपि, यह कमीशन भारत मे रुपये में देय होगा, फिर भी इस लाइसेंस के अन्तर्गत प्राधिकृत आयातो के मूल्य के विपरीत विधिवत् रूप से लेखा मे होगा और इस लाइसेंस के अन्दर उसके लिए अतिरिक्त आयातो के लिए सम-तुल्य धन-राशि उपलब्ध नही होगी । यदि भारत मे अभिकर्त्ता के लिए कमीशन का भुगतान शामिल है तो इसे स्पष्ट रूप से यू० एस० संभरक के साथ संविदा मे अनुबन्धित किया जाना चाहिए और तदन्तर उसके नाम मे वाणिज्यिक साख-पत्र खोला जाना चाहिए कि साख-पत्र के अन्तर्गत भुगतान किया जा रहा हो तो संभरक द्वारा यू० एस० बैंक को वाणिज्यिक बीजक के विवरण के दो सेट जमा किए जाएं । बीजको का प्रथम सेट केवल कुल बिक्री धन-राशि को दिखाने के लिए है और आयातक को सम्बोधित मुहर बन्द लिफाफे मे रखा जाता है और दूसरा सेट वास्तविक कीमत और अभिकर्त्ता के कमीशन को दिखाने के लिए है । कुल बिक्री धनराशि भारत मे अभिकर्त्ता का नाम और पता जिसको भुगतान किया जाना है उसके साथ मूल संभरकों के प्रमाण-पत्र (282 स ए०आई०डी०) के साथ "ए०आई०डी० और भारत सरकार के लिए" को अकित मुहरबन्द लिफाफे मे रखा जाता है । उन मामलो मे जहा अभिकर्त्ता का कमीशन शामिल नही है, वहा यू० एस० संभरक के साथ संविदा और साथ ही उसके नाम में तदन्तर खोला जाने वाला साख-पत्र यह अनुबद्ध करेगा कि बीजक संभरक के प्रमाण-पत्र के साथ अवश्य होना चाहिए और वह प्रारूप ए० आई० डी० 283 के रूप मे ए० आई० डी० वाशिंगटन द्वारा निर्धारित होगा । यह इस सम्बन्ध में होगा कि बीजक मे अभिकर्ता का कोई कमीशन शामिल नही है ।

(2) सभरको का भुगतान आयात लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति के विपरीत आयातको द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जा सकता है जो भारतीय मुद्रा मे भुगतान की जाने वाली धन-राशि को छोड़ कर परेषण के कार्य के लिए वैध होगी । संभरक द्वारा माग किए जाने पर साख-पत्र लाइसेंस जारी किए जाने की तिथि से चार मास के भीतर ही खोल दिए जाने चाहिए । यह उन लाग होने वाली मदों के लिए संशोधित अनुसूची की संख्याओं को संदर्भित करेगा जिनका निर्यात साख-पत्र के अन्तर्गत किया जाने वाला है जिस बारे मे लाइसेंस है उसके लिए विवरण देगा और इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबध 2 मे उल्लिखित सभी प्रकार के प्रलेखो को जमा करने की माग की जाएगी । जहां पर भारत मे अभिकर्त्ता का भुगतान शामिल है,यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि बीजक के दूसरे सेट मे दिखाई गई केवल वास्तविक धनराशि ही संभरक को चुकाई जाएगी इसे उपर्युक्त बताए गए जैसे

बीजकों के दो सेटों को जमा करने के सम्बन्ध में निर्देश अनुबद्ध करना चाहिए । साख पत्र को इसे भी अनुबद्ध करना चाहिए कि समुद्री भाड़ा जो पोत परिवहन चुका दिया गया है या चुकाया जाने वाला है, दोनों बीजकों में जहाज को स्पष्ट रूप से और अलग-अलग दिखा देना चाहिए कि पोत लदान यू० एस० पोतों से हुआ है या दूसरे ध्वज पोतों से (भारतीय ध्वज पोतों सहित)। जब साख-पत्र खोलने के लिए या वैयक्ति पोतलदान के लिए, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है तो किसी भी एक संभरक के नाम में 37,500 (5000 पौंड) (सी० आई० एफ०) रुपये या उससे अधिक का साख-पत्र नहीं खोला जा सकता ।

(3) उन मामलों में जहां पर विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा वसूली के आधार पर बिल प्राप्त किया जाता है तो आगम को तब तक प्रेषित नहीं किया जाएगा जब तक कि चुकाने वाले (आयातक) संभरकों से प्राप्त सारे आवश्यक प्रलेख (सब प्रकार से पूरे किए हुए) (ए० आई० डी० फार्म 11 के साथ) वित्त मन्त्रालय को भेजने के लिए विदेशी मुद्रा देने वाले व्यापारियों के पास नहीं भेज देते । लाइसेंस के विपरीत किसी एक संभरक को इस प्रकार से प्रेषण की जाने वाली कुल धन–राशि 37, 500 रुपये (5000 पौंड) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(4) जब तक कि संभरक साख सुविधाओं [देखें नीचे का उप–अनुच्छेद (7)] की वृद्धि के लिए इच्छुक नहीं हैं तब तक आयातक का भारतीय बैंक जहाज लदान की प्राप्ति संभरक के यू० एस० बैंक के लिए जिसमें वास्तविक बीजक के आधार यदि भारत में अभिकर्ता के लिए कोई कमीशन देय होगा वह भी शामिल होगा, उसके साथ आयात सम्बन्धी सारे खर्चों को आयातक से रुपये में वसूल करेगा और अभिकर्त्ता के कमीशन (अभिकर्त्ता कमीशन की वास्तविक कीमत की कुल धन राशि को जो ए० आई० डी० और सरकार के लिए अंकित किया गया है, उसे प्रदर्शित करते हुए बीजक से इसका निश्चय किया जाना है) को निकाल कर आयात की लागत को यू० एस० संभरक को प्रेषित करेगा । अनुबंध 2 में उल्लिखित सभी लेख संभरक द्वारा विधिवत् प्रस्तुत किए गए हैं और सही हैं, इसकी जांच करने के बाद ही प्रेषण किया जाएगा । जहां पोतलदान के लिए भारतीय ध्वज पोतों का उपयोग किया जाता है और भारतीय बीमा कम्पनी के साथ जहां समुद्री बीमा की व्यवस्था कर ली गई है तो प्रलेख क्रमशः भाड़ा और बीमा को "चुकाने के लिए" के रूप में प्रदर्शित करेंगे । यह प्रभार आयातक द्वारा सीधे ही क्रमशः भारतीय पोत कम्पनी को और/या भारतीय कम्पनी बीमा को चुकाया जाएगा और आयातक से आयातों की जाने वाली वसूली को भारतीय बैंक द्वारा बीजक कृत कुल जहाज पर निशुल्क / जहाज तक निशुल्क लागत के लिए, जिसमें भारत में संभरक के अधिकर्त्ता का कमीशन भी शामिल होगा परि–सीमित किया जाएगा । रुपये में धन–राशि की जो वसूली होगी वह डालर–रुपये की चालू विनिमय दर के आधार पर होगी और यह प्रेषण की तारीख से होगी । भारत में अभिकर्त्ता का कमीशन अभिकर्त्ता के लिए आयातक के भारतीय बैंक द्वारा भारत स्थित अभिकर्त्ता से नीचे लिखे के संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रेषण किए जाने के बाद तत्काल ही भुगतान किया जाएगा :—

(1) उसने पण्य–वस्तु की विक्रय प्राप्ति के लिए और उस पण्य वस्तु के सम्बन्ध में जिसकी सेवा इसके अन्तर्गत ए० आई० डी० द्वारा अर्थ–युक्त की गई है उसके लिए सीधा और वास्तविक वितरण स्थापित करते हुए भारत में सेवाएं पूरी की हैं ; (2) उसने उस प्रकार की सेवाएं भारत में पूरी की हैं ; और (3) वह निरन्तर भारत में अपना व्यापारिक स्थान बनाए रखता है ।

यदि अभिकर्त्ता के कमीशन का भुगतान शामिल नहीं है तो भारतीय बैंक द्वारा एकल बीजक के आधार पर वसूल की जाएगी ।

(5) विदेशी मुद्रा के प्रेषण के 7 दिन के भीतर आयातक का भारतीय बैंक (रजिस्ट्री डाक से, पावती-सहित) प्रस्तुत सार्वजानिक सूचना के अनुबंध 3 में दिए गए प्रपत्र के रूप में किए गए प्रेषण के ब्यौरे को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण को दस्तावेज के एक सेट के साथ (अनुबंध 2 देखिए) जो हर तरह से पूर्ण हो वरिष्ठ लेखा अधिकारी वित्त मंत्रालय (अर्थ-कार्य विभाग) (आर्थिक सहायता, लेखा अनुभाग), जीवन दीप, बिल्डिंग, 10, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा, जिससे बाद वाले को ए० आई० डी० वाशिंगटन से अर्थयुक्तीन्न ए० आई० डी० राशि की प्रतिपूर्ति का दावा करने में समर्थ हो सकें। इसका सुनिश्चय करने की जिम्मेवारी आवेदक की होगी कि बैंक इस विवरण को तथा दस्तावेजों को निर्धारित रूप में उचित समय के भीतर भेजता है / आवेदक तथा बैंक द्वारा इस विवरण को तथा दस्तावेजों को निर्धारित रूप में ठीक समय पर न भेजने की स्थिति में, आयातक को आयात लाइसेंस से वंचित किया जा सकेगा।

(6) भारत में एजन्ट के लिए कमीशन के अतिरिक्त, जहां दूसरे ऐजन्ट का कमीशन शामिल है साख-पत्र यह साफ सकेंत करेगा कि इस प्रकार के कमीशन का यू० एस० संभरकों द्वारा भुगतान किया गया है तो ऋण करार और सहायता विनियमों की व्यवस्थाओं के लिए इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिये

(7) संभरकों को पोतलदान की तारीख से अधिक से अधिक 90 दिनों तक ऋण सुविधाओं को बढ़ाए जाने में तथा इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले आयतक के लिए भी बढ़ाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार के मामलों में, साख-पत्र खोलने पर बिना जोर दिए ही संभरक माल का पोत लदान कर सकता है या साख-पत्र को इस शर्त के अधीन स्वीकार कर कि पोतलदान की तिथि से 90 दिन के भीतर प्रेषण करेगा। ऋण सुविधा की वृद्धि, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आयातक के हित को बिना कोई हानि पहुंचाए ही होनी चाहिये। ऋण सुविधा से सम्बन्धित सभी मामलों में बीजक में पोत लदान प्रलेखों को सम्मलित करते समय, कुल बिक्री राशि, वास्तविक कीमत, भारत में संभरक के एजन्ट को यदि किसी प्रकार की कमीशन का भुगतान किया जाना है उसे डालर में दिखाया जाएगा और उसमें एजन्ट का नाम तथा पता भी दिखाया जाएगा।

एजन्ट का यदि किसी प्रकार का कमीशन दिया जाना है तो ऐसा भुगतान उपर्युक्त उप-धारा 4 के आधार पर, एजेन्ट से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात आयातक द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाएगा। इसी प्रकार, भारतीय पोतों पर होने वाले जहाजलदान के लिए भाड़े खर्च और जब बीमे के अन्तर्गत आने वाली बीमा किस्त की व्यवस्था भारतीय बीमा कम्पनी के साथ की जाती है, तो भुगतान सम्बन्धित पार्टियों को आयातकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाएगा। इसके बाद आयतक के बैंक द्वारा राशि संभरक को दी जाने वाली शेष धनराशि का प्रेषण किया जाएगा। लेकिन, पोतलदान की तारीख से 90 दिन की ऋण सुविधा इस सीमा के अधीन होगी कि संभरक को किसी भी प्रकार का प्रषण 30 अप्रैल, 1972 के बाद नहीं किया जाएगा। यू० एफ० संभरक को उन की शेष राशि के लिए विदेशी मुद्रा के प्रेषण के पश्चात, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक विवरण जिस में भुगतान का विस्तृत विवरण हो, उपर्युक्त उप-धारा (4) में बताए गए के अनुसार प्रेषण के 7 दिन के भीतर वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त मंत्रालय, (अर्थ कार्य विभाग) (आर्थिक सहायता अनुभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—(1) संयुक्त राज्य अमरीका में आयातक के एजेन्ट को ए० आई० डी० अर्थयुक्त आयात के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का कमीशन का भुगतान किया जाता है, हालांकि वह ऋण निधि से अर्थयुक्त किए जाने योग्य नहीं होगा लाइसेंस के लिए खाते में डालने योग्य होगा। खरीद कमीशन के लिए विदेशी मुद्रा का प्रेषण जिर्जव बैंक आफ इन्डिया मुद्रा नियंत्रण नियमों के द्वारा विनियमत होगा।

(2) पण्यवस्तु निरीक्षण सम्बन्धी सेवाओं के लिए संयुक्त राज्य अमीरीका में निरीक्षण अधिकरणों के भुगतान भी लाइसेंस के लिए खाते योग्य होंगे और इस प्रकार के भुगतान ऋण निधि में से ही अर्थयुक्त किए जाने योग्य हैं।

4. **प्रलेखन**

यह जिम्मेदारी आयतक की है कि जो माल उसे भेज गया है उसके भुगतान का दावा करते समय संभरक अनुबन्ध 2 में सूची बद्ध प्रलेखों को पूरा करता है और उन्हें यू० एस० बैंक को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक दस्तावेज में ऋण संख्या, वित्त मंत्रालय के साख पत्र प्राधिकरण की संख्या तथा तिथि और लाइसेंस के ब्यौरे आवश्यक दिखाए जाने चाहिएं।

5. **आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट** :

(1) साख-पत्र खोलने के 15 दिनों के भीतर आयातकों द्वारा निम्नलिखित जानकारी तथा दस्तावेजों के साथ एक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग) (आर्थिक सहायता लेखा अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए :—

(क) लाइसेंस किस प्रकार का है, उसकी संख्या, तिथि तथा सम्बद्ध ए० आई० डी० ऋण संख्या।

(ख) दिये गय आदेशों का मूल्य तथा माला और संभरक द्वारा उसकी स्वीकृति।

(ग) संभरक का नाम तथा पता।

(घ) आयात की जाने वाली मदों का सामान्य विवरण तथा लागू होने वाली संशोधित अनुसूची बी की संख्याएं।

(ङ) संभरक को दिए गए आदेश की तथा उसकी स्वीकृत की एक प्रति।

(च) खोले गए साख पत्र की संख्या, तिथि तथा मूल्य, सम्बन्धित भारतीय बैंक तथा अन्तर्ग्रस्त यू० एस० बैंक।

(छ) ऋण सुविधाएं अन्तर्ग्रस्त हैं या नहीं।

(2) उपर्युक्त सूचना में, किसी प्रकार के हुए परिवर्तन को शीघ्र ही वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) (आर्थिक सहायता लेखा अनुभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामैंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचित किया जाना चाहिए।

6. **माल का पोतलदान**

पोतों की उपलब्धता के अनुसार लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली माल को पूर्ण रूप से यू० एस० अथवा भारतीय ध्वज वाले पोतों पर ही लदान किया जाना चाहिये। लेकिन तीसरे, देश के ध्वज पोत केवल उस स्थिति में प्रयोग किया जाएंगे जब दोनों यू० एस० तथा भारतीय ध्वज पोत उपलब्ध नहीं होते और इसके लिए प्रमाण पत्र, पोत लदान करने से पहले ही क्रमशः साधन परिवहन प्रभाग, ए० आई० डी० वाशिंगटन तथा सचिव, पोतलदान समन्वयन समिति, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली (केबुल ट्रान्सचार्ट) अथवा जहाजरानी परिवहन मंत्रालय, संयुक्त राज्य अमरीका में अग्र प्रेषण एजेन्ट जैसे श्रीमती डायरेक्ट शिपिंग कम्पनी, 17, बैट्री प्लेस, न्यूयार्क एन० वाई० से ले लिए गए हैं।

7. **विशेष शर्तें**

कुछ मदों के आयात के लिए विशेष शर्तें लागू होती हैं। अनुबन्ध –2 में इन्हें चिह्न (÷) द्वारा दिखाया गया है। आदेश जारी करते समय आयातक इस का ध्यान रखेगा कि प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में दी गई शर्तों के अतिरिक्त वर्तमान विशेष शर्तें जिन्हें पूरा किया जाना है, उनकी ओर संभरक का ध्यान आकर्षित कराएं। आयातकों को इस पर जोर देना चाहिए कि जब तक माल का संभरण प्रलेखन, इत्यादी विशेष शर्तों के अनुसार नहीं हो जाते हैं, संभरणों को ए० आई० डी० द्वारा अधियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि आयातक इन मदों में से किसी एक मद के आयात के लिए लागू विशेष शर्तों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो वे उपर्युक्त जानकारी औद्योगिक विकास विभाग (ए० आई० डी० अनुभाग) अथवा यू० एस० आई० ए० डी० मिशन, अमरीकी राज दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त करें।

8. **अन्य विविध मामले**

विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 17 आईटीसी (पीएन) / 71 दिनांक 8–2–71 में जो नियम तथा शर्तें इन विषयों (1) माल का बीमा (2) बीमा कम्पनियों संभरकों, स्ट्रीमर कम्पनियों इत्यादि के लिए दावे (3) माल-अंकन (4) रिकार्ड तथा निरीक्षण (5) झगड़ों (6) सरकार द्वारा दिए जाने वाले आगामी अनुदेश और (7) भंग तथा उल्लंघन के लिए बताई गई हैं, वे इन तत्वों के परिणाम स्वरूप कि वचन-बद्ध पत्र कार्यविधि के स्थान पर अदायीय कार्यविधि लागू होती हैं, इस प्रकार के आवश्यक संशोधनों के साथ अदायगी कार्यविधि के अन्तर्गत लघु मूल्य के आयात के लिए जारी किये गए लाइसेंस के लिए भी लागू होंगी।

9. **शीर्षकों द्वारा अनुबन्धों की सूची**

अनुबन्ध 1 अदायगी कार्यविधि के अन्तर्गत उन उपयुक्त मदों की सूची जो लघु मूल्य प्रेषण में आयात के लिए योग्य हैं।

अनुबन्ध 2 संभरकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज।

अनुबन्ध 3 ऐसे प्रपत्र, जिसमें लाइसेंस के विपरीत किए प्रेषण का विस्तृत ब्योरा हो।

अनुबन्ध

प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अल्प मूल्य प्रेषण में आयाता के लिये अर्हता प्राप्त उपयुक्त मदों की सूची

अनुसूची बी सं	विवरण	विशेष लागू व्यवस्था (एस पी)
1	2	3
512.0720	एन्टी-नाक एजेन्टस के रूप में रसायन ।	
513 1100–513.1300	विरल गैस ।	
599.5834–59 5836	ग्लूज और एडेसिव (औद्योगिक कार्यों के लिए) ।	
599.7515-589.7525	स्नेहक या ईंधन तेल के लिये योगात्मक ।	एमपी23 ए
59 .7700	तैयार सवर्थ साधन ।	एस पी० 40.1ए
599.9210-599 9940	सक्रियित प्राकृति खनिज उत्पाद पायरोफोरिक एलायस धातु पिचलिंग प्रियरेशन्स पेट को अलग करने वाले साल्वेंट्स केटालिस्ट्स और रिजेंट्स ।	
विद्युतीय मशीनों से अन्य मशीन		
711.1010-711.3200	स्टीम बोअयलर इजिन टरनाइन और पुर्जे ।	
711-4120-711.4160	आन्तरिक कम्बशन इजन पुर्जे तथा मैर मिलिट्री एयर-क्राफट के लिये उप-साधन इस्तमाली इंजिनां को छोडकर ।	
711 4230	एयर-क्राफट टर्बाइन पुर्जे तथा उप-साधन अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	
711 5062. 711 5068	आटोमोटिव ट्रक तथा वस्त्र इजन और आन्तरिक कम्ब्रशन इजिन के लिये जो अन्यत्र वर्गीकृत नही है पुर्जे और उप-साधन किन्तु पुनर्निर्मित या पुन : सुधारे गए को छोड कर ।	
711 6000	गैस ट्रटर्बाईन के लिये पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही	
711 8120-711.8900	जल टर्बाईन तथा इजिन के लिये पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही	
712.1020	पौधे लगाने, बीज बोने या खाद तैयार करने की मशीनों के लिये पुर्जे और सलग्न ।	
712.1060	प्लोज, हेरोज और जोतने वाले यन्त्र के लिए पुर्जे तथा सलग्न अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	

1	2	3
712 2025	कटाई मशीन के लिये पुर्जे और सलग्न ।	
712 2050	हेडिंग मशीनो के लिये हेडिंग पुर्जे और सलग्न ।	
712 2073-712	फसल तैयार करने की मशीन और पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही, डेयरी मशीन और पुर्जे ।	
712.9910-712 9965	कृषि सबंधी मशीनो के लिये पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही।	
714 1010-714 9295 (पी)	टाइप राइटर चैक राइटिंग कैलकुलेटिंग, एकाउंटिंग और अन्य आफिस मशीनें, इस्तमाली आफिस मशीन पुर्जे तथा उप-साधको को छोडकर ।	
715 2110-715 2255	फाउड्री मशीन और पुर्जे रोलिंग मिल्स तथा पुर्जे ।	
717 1315-717 1380	कपडा मशीनो के लिये पुर्जे तथा उपसाधक ।	
717 1410-717-1420*	फेल्ट बनाने वाली या परिष्करण करने वाली मशीनो के लिये पुर्जे ।	
717-1530-717-1575	वाणिज्यिक लान्ड्री ड्राई क्लीनिंग प्रेसिंग तथा सम्बद्ध साजसामान और पुर्जे ।	
717-2010-717 2020	चर्मकार्य सबधी मशीने तथा पुर्जे ।	
717-3010-717-3070 (पी)	घरेलू सिलाई मशीन तथा पुर्जे जो अन्यत्र वर्गीकृत नही है और औद्योगिक सिलाई मशीनो (इस्तेमाली या पुर्नर्निमित मशीनो को छोडकर) टाका लगाने की मशीन तथा सूइया ।	
718-1115-718 1140 (पी)	लुगदी मिल और कागज मिल मशीन इस्तेमाली मशीनो को छोडकर-पुर्जे तथा सलग्नक ।	
718-1210-718 2100	कागज काटने वाली तथा जिल्दसाजी की मशीन तथा पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	
718 3100-718 3930	गल्ला मिल मशीनें, वाणिज्यिक खाद्य काटने वाली मशीन बेकरी की मशीनें तथा चीनी सयत्र मशीनें और पुर्जे ।	
718 3960(पी)	पुर्जों को छोडकर फल तथा सब्जी समाधान के लिये मशीनें ।	

1	2	3
718 4100-718.4250	निर्माण-मशीनों के लिये सलग्न पुर्जे उपसाधक जैसे रोड रोलर, पावर क्रेन, ग्रेपषर्ग ग्रैडर्स, ड्रेजज, डिवर्स, पाइल, ड्राइवर्स इस्तमाली या पुनर्निर्मित मशीनों को छोडकर ।	
718-4252-718 4258	खनन मशीन पुर्जे तथा सलग्नक ।	

719 1100	गैस जनित्र के लिये पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	
719 1511-719 1544	वाणिज्यिक प्रशीतन तथा शीत करने का उपस्कर और प्रशीतक उपस्कर के लिये पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही, दवाइओ को जमाने वाले को छोडकर ।	
719 1546-719 1548	वातानुकूलन और प्रशीतक उपस्कर के लिये पुर्जे ।	
719 2170	द्रवा के लिये पम्पों के पुर्जे तथा सलग्नक अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	
719 3151-719 3260	उच्चालक, वाहक, जैक, उद्योगिक ट्रक, ट्रेक्टर सुवाहय सच्चालक, के लिये पुर्जे ।	
719 6215-719 6240	खाद्य तथा अखाद्य य सबेस्टन करने की लपटने, भरने तथा सील करने वाली मशीने पुर्जे तथा उप-साधक ।	
719 6255-719 6340	वाणिज्यिक डिश साफ करने तथा तोलने वाली मशीने (घरेलू उपयोग तथा व्यक्ति नाप तोल तुलाओ को छोडकर) पुर्जे तथा उपसाधक, अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	
719 6410-719 6470	छिडकने तथा बुरकने की मशीनो के लिये पुर्जे ।	
719 8020	वनस्पति-तेल मशीना के लिये पुर्जे ।	
719 9202-719 9900	वाल्व सचरण पुर्जे गास्केट तथा मशीनो के पुर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	
729 2010-729 2050 (पी)	विद्युत-लैम्प पुर्जे (विज्ञापन क्रिस्टमस सजावट तथा धूप लैम्पो को छोडकर)	
729 3015 729-3080	इलैक्ट्रान ट्यूब, सालिड स्टेट सैमि कडक्टर लेवि क्राइस्टलस तथा फिल्टर पुर्जे ।	
729 9930	विद्युतीय उपकरण पूर्जे अन्यत्र वर्गीकृत नही ।	

*सयुक्त राज्य औद्योगिक विकास अभिकरण / नई दिल्ली द्वारा मामले उप-मामले के आधार पर पूर्व अनुमोदक की आवश्यकता होती है ।

1	2	3
***718.4260–718–4264	कूप बर्मा मशीने पुर्जे तथा संलग्नक	
परिवहन उपस्कर :		
731.7030–731.7050	हवाई-ब्रेक उपस्कर पुर्जे रेल के डिब्बों के लिए ।	
732.8100–732.8948	मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर के पुर्जे तथा साधक, नये, गैर-मिलिट्री व्हीकलों के लिए ।	
732.9100–732.9200	मोटर साइकिल, मोटर स्कूटर तथा मोटर बाइसकिल और पुर्जे तथा साधक ।	
7333.030	औद्योगिक हैन्ड ट्रक्स तथा टेलर्स पुर्जे ।	
733.3040	ट्रक टेलर्स पुर्जे, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं ।	
734.2910–734.9220*	प्रोपेलर्स, लेन्डिंग गियर्स तथा पुर्जे, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं वायुयान, वायुपोत तथा गुब्बारों के लिए ।	
733.3090–733 4000*	व्हीकल्स, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं तथा पुर्जे, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं ।	
734.9230(पी)	वायुयान, वायुपोत तथा गुब्बारों के लिए पुर्जे तथा साधक, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं (गन माउन्ट असैम्बलीज, बम्ब शेकल्स बुर्ज तथा इसी प्रकार की मदों को छोड़कर) ।	
861.7105–861.7150 (पी)	दन्तय तथा नैदानिक औजार तथा साज सामान तथा मेडिकल, सर्जीकल औपथल्मिक तथा शाली-होत्री औजार और उपकरण ।	
861.8110–861.9970	मोटर, वणक, सर्वेक्षण करने के, नौ-सेना में उपयोग होने वाले तथा अन्य वैज्ञानिक मापक यंत्र ।	

*औद्योगिक विकास अभिकरण/नई दिल्ली द्वारा मामले-उपमामले के आधार पर पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है ।

अनुबन्ध 2

संभरकों के लिए अपेक्षित प्रलेख

1. वे सभी प्रलेख जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 17 आई०टी०सी० (पी एन)/71, दिनांक 8-2-71 के लिए अनुबन्ध 7 में उल्लिखित है ।

2. प्राप्त बीजक के रूप में भुगतान का साक्ष्य या प्रेषण का विदेशी संभरकों के बैंक के प्रमाण-पत्र की औपचारिक पावती या अन्य सन्तोषजनक साक्ष्य ।

अनुबन्ध 3

लाइसेंस के लिए किए गए प्रेषण में विवरणों को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र (बैंक द्वारा उपयोग किया जाना है)

सेवा में,

बिल्ल लेखाधिकारी,

वित्त मंत्रालय,

अर्थकार्य विभाग,

आर्थिक सहायता लेखा अनुभाग,

10, जीवन दीप बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

आवश्यक भुगतान करने के बाद हम आपको ए० आई० डी० से प्रतिपूर्ती प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित प्रलेख अग्रसारित करते हैं :—

(1) ऋण की संख्या : यू० एस० ऋण संख्या 386-एच-207

(2) आयातक का नाम और पूरा पता :

(3) आयात लाइसेंस संख्या, तारीख और लागत बीमा भाड़ा मूल्य :

(4) प्रलेखों का ब्यौरा (संलग्न किया जाना है) :—

(क) संभरक बीजक

(ख) लदान-पत्र की प्रति

(ग) ए० आई० डी० प्रमाण-पत्र

(घ) भुगतान या संभरक को किए गए प्रेषण का प्रमाण

हम लोग प्रमाणित करते हैं कि हम लोगों ने यू०एस० संभरकों को..... की धन राशि का प्रेषण कर दिया है ।

भवदीय

भगवान सिंह,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971